17/1/25- पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी-अप्रार्थी अधि० उप० प्रकरण मुलवाद के साथ दिनांक 10/2/25 को पेश हो।

10/2/25- पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी-अप्रार्थी अधि० उप० प्रकरण मुलवाद के साथ दिनांक 3/3/25 को पेश हो।

पुनश्चः अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब नहीं किया जाता है।

3/3/25- पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी-अप्रार्थी अधि० उप० प्रकरण साक्ष्यश्रवण हेतु दिनांक 17/3/25 को पेश हो।

17/3/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि. उप. पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 7/4/25 को पेश हो।

17/3/25

7/4/25 पत्रावली पेश हुई उपखण्ड पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साक्ष्य आदेश दिनांक 22/4/25 को पेश हो।

रीडर

22/4/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप. अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दौहराव करते हुये निवेदन किया कि ग्राम तिलोली पटवार हल्का तिलोली की आराजी नं. 1752 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 8/10/2002 को अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता तथा अप्रार्थी सं. 4 के

लगातार

22/4/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 47A/16   महेश कुमार बनाम नाहर सिंह वगै.

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/4/25	पत्नि बहादुर सिंह मुतवन्ना ईश्वर सिंह राजपूत के द्वारा विक्रय की गई थी। प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 8/10/2002 से अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता व अप्रार्थी सं. 4 के पति द्वारा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, तब से लगातार प्रार्थी वादग्रस्त भूमि ग्राम तिलोली की आराजी नं- 1742 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के पंजीकृत क्रेता होने से प्रार्थी के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे।	
	प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस के चिंतन एवं मनन उपरान्त प्रथमदृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि आराजी नं- 1742 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 2 बिस्वा का पंजीकृत क्रेता होने से प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है साथ ही क्रय की गई भूमि रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र से कब्जा प्राप्त करने एवं भौतिक कब्जा काश्त होने के आधार पर सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। साथ ही यदि वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल कर देते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं अप्रार्थीगण यदि वादग्रस्त भूमि का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष दान, बेचान, रहन या अंतरण कर देते हैं तो नवीन व्यक्ति के हित प्रभावित होंगे तथा नवीन वादों की श्रृंखला प्रारम्भ हो जावेगी।	
	अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है।	
	लगातार -	

सहायक ... कलेक्टर,
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 47A)16 महेश कुमार उनवान नाहर सिंह वगैरह

दिनांक	हुक्म या-कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/4/25	**आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि ग्राम तिलोली पटवार हल्का तिलोली तहसील भीलवाड़ा की आराजी न. 1742 रकबा 3 बीगा 2 बिस्वा में से क्रेता/प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दि. 8/10/2002 से खरीदी गई 1 बीगा 2 बिस्वा भूमि की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि को रहन, बेचान, बक्शीश या बेचान द्वारा अंतरित नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय सेर इजलास सुनाया गया/पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 22/4/2025 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	